राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 9488/2023

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, प्रथम तल, आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर (राजस्थान) अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री मनोज लिखयानी के माध्यम से ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. डॉ. हरीश अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, उम्र लगभग 70 वर्ष, (वरिष्ठ नागरिक) निवासी प्लॉट नं. 9, सिंधी कॉलोनी, बानी पार्क, जयपुर (राज.)
2. जयपुर विकास प्राधिकरण, आयुक्त के माध्यम से, रामकिशोर व्यास भवन, इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004 (राज.)
3. अधिशासी अभियंता, आरआरपी-द्वितीय, नोडल अधिकारी, ओएफसी जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, रामकिशोर व्यास भवन, इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004 (राज.)
4. निदेशक (इंजीनियरिंग-चतुर्थ), जयपुर विकास प्राधिकरण, रामकिशोर व्यास भवन, इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004 (राज.)

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए	:	श्री अनुरूप सिंघी और श्री अर्जुन पाराशर, अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री राजेश महारिषि, अतिरिक्त महाधिवक्ता

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आरक्षित तिथि : 08/01/2024

घोषित तिथि : 25/01/2024

आदेश

प्रकाशनीय

1. इस याचिका में शामिल मुद्दे हैं "(1) क्या स्थायी लोक क्या अदालत को मोबाइल टावर की स्थापना से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार है? और (2) क्या मोबाइल टावर की स्थापना या हटाना कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "1987 का अधिनियम") की धारा 22 ए (बी) के तहत परिभाषित "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" की परिभाषा के अंतर्गत आता है? उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस याचिका में शामिल मुद्दों पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स:

2. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा स्थायी लोक अदालत, जयपुर मेट्रोपॉलिटन, जयपुर (संक्षेप में "पीएलए") द्वारा पारित दिनांक 29.05.2023 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण (संक्षेप में "जेडीए") के उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है कि वे संबंधित स्थल पर स्थापित मोबाइल टावर को जब्त करें और 15 दिनों के भीतर उसे ध्वस्त करें और याचिकाकर्ता से उपरोक्त प्रक्रिया में हुए खर्च की राशि वसूल करें और

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

जेडीए को 29.05.2023 के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 30.06.2023 तक प्रस्तुत करने के लिए एक और निर्देश जारी किया गया है।

3. पीएलए द्वारा जारी उपरोक्त आदेश और निर्देशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के अंतर्गत यह याचिका दायर करके इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है:

> "अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय रिट याचिका को स्वीकार करने और अनुमति देने की कृपा करे तथा आगे:
>
> (i) उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा स्थायी लोक द्वारा पारित दिनांक 29.05.2023 का आक्षेपित आदेश अदालत, जयपुर में परिवाद संख्या 308/2022 में दायर अपील को निरस्त किया जाए।
>
> (ii) उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रारंभिक आपत्तियां और उत्तर कृपया स्वीकार किए जाएं और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन कृपया अनुरक्षणीय न होने के कारण खारिज किया जाए;
>
> (iii) उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा शिकायत संख्या 308/2022 की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द और अपास्त किया जा सकता है।
>
> (iv) कोई अन्य आदेश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है।
>
> (v) रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जा सकती है।

<u>प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ:</u>

4. इस याचिका को दायर करने के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने पीएलए द्वारा पारित 29.05.2023 के आदेश की विधिमान्यता और वैधता को चुनौती दी है।

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा वर्ष 2014 में विचाराधीन साइट पर एक मोबाइल टावर स्थापित किया गया था और 8 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने इसे हटाने के लिए शिकायत दर्ज की। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन समयबाधित है क्योंकि टावर वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था जबकि टावर हटाने के लिए आवेदन वर्ष 2022 में प्रस्तुत किया गया था। वकील ने आगे कहा कि उपरोक्त शिकायत के निवारण के संबंध में, प्रतिवादी नंबर 1 ने शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.02.2017 के खंड 15(4) के अनुसार जिला दूरसंचार समिति से संपर्क किया। वकील ने कहा कि जब प्रतिवादी नंबर 1 ने पहले ही वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाया था, तो उसके पास 1987 के अधिनियम की धारा 22 सी के तहत शिकायत दर्ज करने का कोई कारण और अवसर उपलब्ध नहीं था। वकील ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर उपरोक्त शिकायत पीएलए के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि शिकायत में शामिल मुद्दा 1987 के अधिनियम की धारा 22 ए (बी) के तहत परिभाषित "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" के दायरे में नहीं आता है। वकील ने कहा कि मामला लोक के समक्ष पोस्ट किया गया था मामले में सुलह कार्यवाही और सुलह के लिए अदालत संभव नहीं थी, इसलिए उस भाग्यशाली दिन, यानी 12.04.2023 को, याचिकाकर्ता ने अपने विवाद के समर्थन में साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा। वकील ने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर दिए बिना ही उसी दिन शिकायत का फैसला कर दिया गया और अधिकारियों को 20 दिनों की अवधि के भीतर यानी 03.05.2023 को या उससे पहले अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया है। अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 18.11.2016 के पत्र का हवाला दिया और कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संक्षेप में, "जेडीए") आवेदन में दिए गए सही अक्षांश और देशांतर के रूप में

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

विचाराधीन टावर का स्थान पाता है। वकील ने प्रस्तुत किया कि आदेश पारित करने के किसी भी क्षेत्राधिकार के बिना, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर शिकायत पर विचार किया गया

1) मेसर्स एसेंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम अजय कुमार एवं अन्य [सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1689/2019] पटना उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया।

2) वासु राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3159/2018 इस न्यायालय द्वारा 13.12.2012 को निर्णीत।

3) राज कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य , एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 566/2020 में इस न्यायालय द्वारा 22.01.2020 को निर्णय दिया गया।

4) रोहिताश खटाना बनाम राजस्थान राज्य और अन्य एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12035/2020 दिनांक 02.01.2024 में ।

5. वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त के मद्देनजर, पीएलए द्वारा पारित दिनांक 29.05.2023 के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

6. प्रतिपक्ष, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया तथा कहा कि जेडीए द्वारा याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि पर टावर लगाने की कोई अनुमति नहीं दी गई। अधिवक्ता ने कहा कि जेडीए द्वारा याचिकाकर्ता को

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

24.06.2014 को शांति मैरिज गार्डन के पास, 80 फीट रोड, बृजमंडल कॉलोनी, जोतवाड़ा, जयपुर में मोबाइल टावर लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी । अधिवक्ता ने कहा कि इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय एक विशेष शर्त रखी गई थी कि यदि कोई शिकायत या कोई प्रतिकूल स्थिति पाई जाती है तो जेडीए मोबाइल टावर हटाने के संबंध में निर्णय लेगा तथा इसका व्यय याचिकाकर्ता को वहन करना होगा। वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जिला दूरसंचार समिति के समक्ष 06.02.2017 के आदेश के खंड 15(4) के अनुसार एक शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारी इस मामले को दबा रहा था, इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पीएलए से संपर्क किया । वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायत प्राप्त होने के तुरंत बाद, जेडीए ने याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया जिसमें यह संकेत दिया गया था कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के नियमों और शर्तों का उल्लंघन हुआ है और आज तक याचिकाकर्ता द्वारा उक्त नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। वकील ने प्रस्तुत किया कि ये सभी तथ्य प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर शिकायत में बताए गए थे और उनकी ओर से कोई छिपाव नहीं था। वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पीएलए ने 1987 के अधिनियम की धारा 22 के तहत निहित अपने अधिकार क्षेत्र का सही ढंग से प्रयोग किया है अपने तर्कों के समर्थन में, प्रतिवादी के वकील ने डिवीजनल ऑफिस बनाम देबराज बेहरा एवं अन्य **[डब्ल्यूपी (सी) संख्या 18356/2016]** का निर्णय 11.09.2023 के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा रखा है ।

<u>विश्लेषण और तर्क:</u>

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

7. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

8. प्रतिवादी संख्या 1/शिकायतकर्ता (जिसे आगे "शिकायतकर्ता" कहा जाएगा) ने पीएलए के समक्ष 1987 के अधिनियम की धारा 22सी के तहत एक शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें यह दर्शाया गया कि याचिकाकर्ता मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (संक्षेप में "जियो") को जेडीए क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 4 जी सेवाओं के लिए एक मोबाइल टॉवर (ग्राउंड बेस्ड मास्ट) स्थापित करने की अनुमति दी गई थी और यह अनुमति जियो को साइट आईडी जेपीयूआर-आरआईएल-0297 यानी शांति मैरिज गार्डन के पास, 80 फीट रोड बृजमंडल कॉलोनी, जोतवाड़ा, जयपुर पर टॉवर स्थापना के लिए दी गई थी लेकिन उपरोक्त अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, JIO ने शिकायतकर्ता के प्लॉट अर्थात भोमिया नगर, वार्ड संख्या 36 पर एक मोबाइल टावर स्थापित कर दिया है। JDA को JIO को साइट का स्थान बदलने और शिकायतकर्ता के प्लॉट के पास टावर लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। शिकायत में याचिकाकर्ता-JIO के साथ-साथ JDA को टावर हटाने और 24.06.2014 से 24.09.2022 तक 40,000 /- रुपये प्रति माह किराया और 1,00,000/- रुपये प्रति माह का मुआवजा देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था ।

9. याचिकाकर्ता ने शिकायत का जवाब प्रस्तुत किया और शिकायत में दिए गए दावों का खंडन किया और कहा कि टावर अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद लगाया गया था और शिकायतकर्ता ने जिला दूरसंचार समिति के समक्ष भी इसी तरह की शिकायत प्रस्तुत की है। इसलिए, पीएलए को शिकायत पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उठाया गया मुद्दा "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" के

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

अर्थ में नहीं आता। अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

10. पक्षकारों की दलीलें पूरी होने के बाद, दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना तलाशने के लिए मामला सुलह के लिए रखा गया था, लेकिन सुलह की कार्यवाही विफल रही और आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

11. अब इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न शेष है, वह यह है कि "जब मामला जिला दूरसंचार समिति के समक्ष विचाराधीन था, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर, क्या पीएलए के पास शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत समान शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था" और "क्या टावर को स्थानांतरित करने/हटाने की शिकायत 1987 के अधिनियम की धारा 22ए (बी) के तहत परिभाषित "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" की परिभाषा और दायरे में आती है। सुविधा के लिए, 1987 के अधिनियम की धारा 22 ए(बी) के तहत परिभाषित "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" की परिभाषा निम्नानुसार उद्धृत की गई है:

> **"22ए.** परिभाषाएँ. — इस अध्याय में और धारा 22 और 23 के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
>
> (क) **"**स्थायी लोक अदालत" XX XX XX
>
> (ख) **"**सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" से तात्पर्य किसी भी-
>
> (i) वायु, सड़क या जल मार्ग से यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा; या
> (ii) डाक , तार या टेलीफोन सेवा; या
> (iii) किसी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति ; या
> (iv) सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता की प्रणाली ; या
> (v) अस्पताल या औषधालय में सेवा ; या
> (vi) बीमा सेवा,

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

> और इसके अंतर्गत कोई सेवा भी है जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार लोकहित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

12. 1987 के अधिनियम की धारा 22ए(ए) के अनुसार "स्थायी लोक अदालत का अर्थ है स्थायी लोक अदालत धारा 22बी की उपधारा (1) के तहत अदालत की स्थापना की गई। 1987 के अधिनियम की धारा 22बी(1) स्थायी लोक अदालत की स्थापना का प्रावधान करती है। अदालत, निम्नलिखित शब्दों में:

> "22बी. स्थायी लोक सभा की स्थापना अदालतें.-- (1) धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करेगा। ऐसे स्थानों पर अदालतें स्थापित करने तथा एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

13. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1987 के अधिनियम की धारा 22बी(1) के अंतर्गत स्थापित पीएलए को केवल "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" के संबंध में ही अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है। मोबाइल टावर की स्थापना से संबंधित विवाद "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

14. प्रतिवादियों द्वारा दिए गए उत्तर के साथ संलग्न दस्तावेजों से पता चलता है कि जेडीए ने अपने आदेश/पत्र दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से जेडीए क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 4जी सेवाओं के लिए ग्राउंड बेस्ड मास्ट (संक्षेप में "जीबीएम") लगाने के लिए याचिकाकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया था और याचिकाकर्ता को साइट आईडी जेपीयूआर-आरआईएल-0297 अर्थात शांति मैरिज गार्डन के पास, 80 फीट रोड, बृजमंडल कॉलोनी, जोतवाड़ा , जयपुर में मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता को उपरोक्त एनओसी जारी करते समय

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

एनओसी में ही यह शर्त रखी गई थी कि "शिकायत या किसी अन्य विपरीत सूचना पर टावर हटाने का निर्णय लेने का अधिकार जेडीए के पास होगा। सेवा प्रदाता मेसर्स रिलायंस के मामले में जियो यदि इन्फोकॉम अनुपालन करने में विफल रहता है, तो जेडीए को मेसर्स रिलायंस से वसूले जाने वाले व्यय के साथ संरचना को हटाने का अधिकार होगा। जियो इन्फोकॉम . रिलायंस जियो इन्फोकॉम को नोटिस के 15 दिनों के भीतर संरचना को हटाना होगा।"

15. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने टावर का स्थान बदल दिया है और उसे उस स्थान के बजाय कहीं और स्थापित कर दिया है जिसके लिए एनओसी दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दिनांक 24.03.2015 को प्रस्तुत शिकायत के प्रत्युत्तर में, जेडीए ने उन्हें सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा टावर, दिनांक 15.09.2016 के सरकारी आदेश के अनुसार स्थापित किया गया है और इसे देशांतर/अक्षांश के अनुसार स्थापित किया गया है।

16. संपर्क पोर्टल पर पुनः शिकायत क्रमांक 122138311584063 प्रस्तुत किया गया और जेडीए ने अपने पत्र दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से याचिकाकर्ता को लिखा कि शांति मैरिज गार्डन के पास स्थित स्थान के लिए उसे एनओसी प्रदान की गई थी, लेकिन टावर एनओसी की शर्तों के विरुद्ध कहीं और स्थापित किया गया था और तदनुसार, याचिकाकर्ता को सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए, 20.06.2022 को जेडीए ने याचिकाकर्ता को संबंधित भूमि से संबंधित टावर हटाने का निर्देश दिया। लेकिन, उपरोक्त कार्यवाही के बावजूद, न तो याचिकाकर्ता द्वारा और न ही जेडीए द्वारा संबंधित टावर को हटाया गया।

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

17. इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 1 ने दूरसंचार विभाग द्वारा जारी दिनांक 06.02.2017 के आदेश के खंड 15(4) के अनुसार, जिला दूरसंचार समिति (संक्षेप में "डीटीसी") के समक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत की, लेकिन डीटीसी को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से उक्त शिकायत पर आज तक निर्णय नहीं लिया गया है।

18. डीटीसी के समक्ष उपरोक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 1 ने पीएलए के समक्ष अपनी शिकायत के निवारण के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक समान शिकायत प्रस्तुत की, 1987 के अधिनियम की धारा 22 सी के तहत शिकायत दर्ज की और पीएलए द्वारा 29.05.2023 के आदेश के तहत जेडीए को निर्देश दिया गया कि वह संबंधित टावर को जब्त करे और उसे ध्वस्त करे और याचिकाकर्ता से खर्च वसूल करे।

19. पटना उच्च न्यायालय ने मेसर्स एसेंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम अजय कुमार एवं अन्य के मामले में, जो एआईआर **2022** पटना **179** में रिपोर्ट किया गया है, माना है कि मोबाइल टावर की स्थापना से संबंधित विवाद, 1987 के अधिनियम की धारा 22ए(बी) के तहत परिभाषित सार्वजनिक उपयोगिता सेवा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है और इसे निर्णय के पैराग्राफ 6 में निम्नानुसार माना गया है:

> "6. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और मुझे लगता है कि हालांकि स्थायी लोक अदालत के पास अपने समक्ष लाए गए विवादों पर अंतिम रूप से निर्णय देने का अधिकार है , हालांकि, इसे पहले पक्षों के बीच अनिवार्य सुलह कार्यवाही का सहारा लेना पड़ता है और दूसरा, यह केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में विवादों का निर्णय कर सकता है, जैसा कि अधिनियम, 1987 की धारा 22 ए (बी) में परिभाषित किया गया है, हालांकि, यह न्यायालय पाता है कि जहां तक मोबाइल टावर की स्थापना के संबंध में विवाद का

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

> संबंध है, यह अधिनियम, 1987 की धारा 22 ए (बी) के तहत निर्धारित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए, यह न्यायालय इस विचार का है कि स्थायी लॉट अदालत , पटना हाथ में लिए गए विवादों का निर्णय नहीं कर सकती थी ।

20. इसी प्रकार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फूल कौर बनाम स्थायी लोक अदालत, गुड़गांव, हरियाणा एवं अन्य के मामले में, जो **2011** एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच **9547** में रिपोर्ट किया गया था, निर्णय के पैराग्राफ 4 और 5 में पीएलए के क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> "4. धारा 22-सी जो स्थायी लोक अभियोजक को मामलों के संज्ञान को संदर्भित करती है अदालत में यह प्रावधान है कि किसी विवाद से संबंधित पक्ष किसी विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। इस धारा में कुछ अपवाद हैं जो विशिष्ट रूप से कुछ प्रकार के मामलों को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें स्थायी लोक अदालत द्वारा नहीं लिया जाएगा। अदालत । धारा 22-डी स्थायी लोक अदालत के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करती है। अदालत जिसमें सुलह कराने का अधिकार क्षेत्र शामिल है और धारा 22-ई स्थायी लोक अदालत के लिए एक पुरस्कार प्रदान करती है। अदालत अंतिम होगी। पूरा मिशनरी जिस आधार पर घूम सकता है, वह धारा 22 (बी) और (सी) होगी और यह वस्तुतः सभी प्रकार के मामलों को समाप्त कर देगी, जो लोक अदालत में विचाराधीन हैं । अदालत से निपटा जा सकता है।
>
> 5. अचल संपत्ति के संबंध में घोषणा और निषेधाज्ञा न तो स्थायी लोकपाल के लिए राहत है और न ही स्थायी लोकपाल के लिए। अदालत न तो कोई विषय दे सकती है और न ही वह विषय जिस पर वह विचार कर सकती है। स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय शून्य है और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही इस निर्णय को रद्द करने के लिए एक वाद दायर किया हुआ है और वह लंबित है। चूँकि यह मामला एक लोक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र और क्षमता के मुद्दे से संबंधित है, इसलिए मेरा मानना है कि सिविल

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

> न्यायालय इस रिट याचिका के माध्यम से लिए गए निर्णय के अनुसार उक्त वाद का निपटारा करेगा।

21. श्रीमती फूल कौर **(सुप्रा)** के मामले में उपरोक्त निर्णय पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मेसर्स भारती इन्फ्रास्ट्रक्चर वेंचर्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम स्थायी लोक अदालत एवं अन्य **[**सीडब्ल्यूपी संख्या **14658/2013]** मामले में भरोसा किया और उसका अनुसरण किया, जिसका निर्णय 19.09.2015 को हुआ और इसे निम्नानुसार माना गया:

> "यह मामला इस न्यायालय के निर्णय, श्रीमती फूल कौर बनाम स्थायी लोक अदालत, गुडगांव, हरियाणा एवं अन्य, **2012(5)** आरसीआर **(**सिविल**) 124,** द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। यह पक्षों के बीच एक अनुबंध पर आधारित आपसी विवाद है जिसका निर्णय स्थायी लोक अदालत द्वारा नहीं किया जा सकता। श्रीमती फूल कौर के मामले **(**उपरोक्त**)** में ऐसा ही माना गया है।
>
> इसे देखते हुए, दिनांक 20.02.2013 का आक्षेपित निर्णय (अनुलग्नक पी-5) एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। हालाँकि, प्रतिवादी कानून के अनुसार उपलब्ध उपचारों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

22. सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" की परिभाषा के खंड और पटना उच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णयों के अवलोकन के पश्चात, यह न्यायालय इस सुविचारित राय पर है कि मोबाइल टावर लगाने से संबंधित विवाद, 1987 के अधिनियम की धारा 22ए(बी) के अंतर्गत परिभाषित "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए, पीएलए को ऐसे मामलों में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है और पीएलए ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं कर सकता। अतः, इन परिस्थितियों में, पीएलए द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है। देबराज बेहरा **(**सुप्रा**)** के मामले में

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

शिकायतकर्ता द्वारा लिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

23. उपरोक्त कारणों से पी.एल.ए. द्वारा दिनांक 29.05.2023 को पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

24. अब, इस न्यायालय के समक्ष अगला प्रश्न यह है कि जब पीएलए को मोबाइल टावरों की स्थापना और निर्माण से संबंधित शिकायतों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसे शिकायतकर्ताओं के लिए उनकी शिकायतों के निवारण के लिए क्या उपयुक्त वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होगा ?

25. दिनांक 06.02.2017 के सरकारी आदेश के खंड 15(4) को देखते हुए और जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा राज कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य **[**एसबीसिविल रिट याचिका संख्या **566/2020]** के मामले में पारित दो आदेशों का अनुसरण करते हुए, जिसका निर्णय 22.01.2020 को हुआ और वासु राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य **[** एसबीसिविल रिट याचिका संख्या **3159/2018]** के मामले में, जिसका निर्णय 13.12.2021 को हुआ, इस न्यायालय ने रोहिताश खटाना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य **[**एसबीसिविल रिट याचिका संख्या **12035/2020]** का निर्णय 02.01.2024 के मामले में निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया है। पैराग्राफ संख्या 3 और 4 में हुआ, जो इस प्रकार है:

> "3. रिट याचिका में दिए गए कथनों और प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाब का अध्ययन करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि मोबाइल टावर की स्थापना राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 06.02.2017 के आदेश द्वारा शासित होगी। उक्त आदेश दिनांक 06.02.2017 के खंड 15(4) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला दूरसंचार समिति, टावर स्थापना

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

आदि से संबंधित जन शिकायतों सहित दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी।

4. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 06.02.2017 के आदेश के खंड 15(4) के अनुसार उपलब्ध उचित उपाय का लाभ उठाना चाहिए। यह आदेश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर जिला दूरसंचार समिति से संपर्क करता है, तो जिला दूरसंचार समिति याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार करेगी और उसके बाद दस दिनों के भीतर कानून के अनुसार शीघ्रता से निर्णय लेगी।

निष्कर्ष:

26. इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अनुसरण में तथा मामले में समता बनाए रखते हुए, इस याचिका का निपटारा जिला कलेक्टर, जयपुर की अध्यक्षता में जिला दूरसंचार समिति को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह सरकारी आदेश दिनांक 06.02.2017 के खंड 15(4) के अनुसार मामले की जांच करे तथा शिकायतकर्ता की शिकायत पर निर्णय दे, जिसमें दिनांक 24.06.2014 के एनओसी पत्र तथा जेडीए द्वारा जारी दिनांक 18.11.2015, 30.05.2022 तथा 20.06.2022 के पत्रों को ध्यान में रखा जाए तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, कानून के अनुसार तथा इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, उचित आदेश पारित किए जाएं।

27. तदनुसार, उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। दिनांक 29.05.2023 का विवादित आदेश निरस्त एवं अपास्त किया जाता है।

28. स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हों) का निपटारा हो गया है।

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)

29. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिला दूरसंचार समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

30. कोई लागत नहीं.

(अनूप कुमार ढांड) ,जे

सोलंकी डी.एस., पी.एस.

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(28/05/2025 को 05:16:35 PM पर डाउनलोड किया गया)